

बार एसोसिएशन ने मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की अवमानना कार्रवाई

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट के एक जज की कोर्ट की बहिकार करने के अवमानना मामले में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के अध्यक्ष व महासचिव पूर्ण कार्यकारियों की सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। एसोसिएशन ने आश्वस्त किया कि वे भविष्य में हड़ताल नहीं करेंगे। यदि कोई समस्या होगी तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशनानुसार विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। एसोसिएशन की ओर से शपथ भारी वार के प्रस्ताव को भी अदालत में पेश किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करने और सीधे पर रोटर में बलावट नहीं करने की भी बात कही गई। इसके पार्श्वकारी कोर्ट के दिशा-निर्देश एमआर शाह व संजीव खना की खंडपीट ने बार एसोसिएशन को राहत देते हुए कार्यकारियों के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित प्रसंजान मामले में अवमानना की कार्रवाई को रद्द कर दिया।

- सुप्रीम कोर्ट ने सिंतंबर में जयपुर हाईकोर्ट के वकीलों द्वारा एक जज की कोर्ट की न्यायिक बहिकार करने और एक दिन की हड़ताल के मुद्दे पर अवमानना का स्वप्रेरित प्रसंजान लिया था।
- एसोसिएशन ने आश्वस्त किया कि वे भविष्य में हड़ताल नहीं करेंगे। यदि कोई समस्या होगी तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशनानुसार विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी।

पर

एसोसिएशन

को

करने

के

का

का